



उनवान

बनाम

किस्म मुकदमा धारा कनूति धारा 131 मु0न0 51 सन 20
2020/00275

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
09 ¹⁰ / ₂₀₂₀	<p>नहमीलदार रामपुर 2 द्वारा कनूति धारा 131 के राजस्व कार्यविधि 1956 के पेश कर विवेक किया कि गाँव सुरजपुर की डा.नं. 3710 से सड़क निकल रही उस कबुला सड़क की भी जमीन पर कर रजिस्ट्रार विधि आकर खातेदारी की सूचना पत्र जारी कर पत्रावली दिनांक 16.10.20 को पेश हो।</p>	
16 ¹⁰ / ₂₀₂₀	<p>पत्रावली पेश हुई प्रकरण में संबंधित आगजीमत ख.नं. 3710 के गाँव सुरजपुर के खातेदारों को सूचना पत्र पत्र जारी करने के लिए जमीन का कबुला सूचना कोई खातेदार उपस्थित नहीं होकर गाँव की सीमा में मोहनलाल खाती उपस्थित हुए, शेष उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक नया कार्यवाही की निर्दिष्ट विधि द्वारा उपस्थित मोहनलाल जी द्वारा प्रकरण में बताया कि हाँ भोके पर गाँव सुरजपुर के रामपुर का शास्ता आ रहा है, जिसमें हाँ डाक्टर नहीं है उनके खुद के खाते रजिस्ट्रार इस प्रकार भोके की स्थिति अनुसार शास्त्र रेकार्ड में एक रजिस्ट्रार का नाम सू. किस्म शास्ता दर्ज किया जाते उपस्थित है पत्रावली जारी निर्दिष्ट दिनांक 20.10.20 को पेश हो।</p>	 छि डीरामा
20 ¹⁰ / ₂₀₂₀ प्र.सं. 2020/00275	<p>पत्रावली पेश हुई प्रकरण में सरकार की कोर से उत्तर दस्तावेज का कुवलोमन कर करण पर गाँव की रेकार्ड एवं भोके स्थिति में एक रजिस्ट्रार हेतु गाँव सुरजपुर</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 2020/00275	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
----------------	--	---

श्री आराजी गव्वाल 3710 रुकवा 0.02 हेक्टर
 पत्नी श्री सिद्धा गलाकी के वजाय माननीय
 सम्भाजीय आशुतोष महोदय, कजमेर द्वारा दिवस
 जर्न ऑर्डरों एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक
 10-8-2016 के अनुसार सिद्धा गे.सु. रास्ता
 150 रुकवा कुछ भूमि स्वाभिमत्व कडरुट्ट
 जमाकडी रुकवा जर्न/ पा.प.गार्ज नदली/कादर
 रात्रुट्ट को लिख जर्न

पञ्जावली जैसल श्रुता होकर गव्वाल से
 कत्र हो / Shrus
 20.10.2020

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 रायपुर, जिला-मीलवाडा.